

29.4.15

पत्रावली देव इत्यादि पाठनाथ एवं
 उनके वकील का राय-2 का
 अर्ज-2 आवाज लगाई गई।
 पाठनाथ एवं उनके वकील
 इत्यादि नही है। अतः पाठनाथ
 का आपत्क अर्ज दाखिल व
 अर्ज फर्जी है अतः अर्ज विरुद्ध
 जाता है पत्रावली में (अनुच्छेद)
 अर्ज नकार है अतः अर्ज
 अमान्य है अतः अर्ज